Notes by Akhilesh Kumar (G T Assist. Professor)
J K College Biraul Darbhanga
YouTube : A commerce Education

Notes BY: AKHILESH KUMAR(Guest Teacher)

DEPARTMENT OF COMMERCE

JANTA KOSHI COLLEGE BIRAUL, DARBHANGA

FOR-LNMU B. COM PART -2 Hons paper -III Business and Regulatory Framework unit-1. Indian Contract Act ,1872

स्थानापन्न एजेण्ड (Substituted Agent)

"जब कोई एजेण्ड नियोक्ता से प्राप्त स्पष्ट अथवा गर्भित अधिकार के आधार पर एजेन्सी के कारोबार में किसी अन्य नियोक्ता की ओर से कार्य करने के लिये नामांकित करता है, तो ऐसा अन्य व्यक्ति को नियोक्ता की ओर से कार्य करने के लिये नामांकित करता है, तो ऐसा अन्य व्यक्ति 'स्थानापन्न एजेण्ड' कहलाता है ।"

स्थानापन्न एजेण्ड मूल एजेण्ड की भाँती कार्य करता है तथा सीधा नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी होता ई । (धारा 194)

उदाहरण - अमित गाजियाबाद में कपिल ऋण राशि वसूल करने के लिये सुमित को एजेण्ड के रूप में नियुक्त करता है | सुमित कार्य के लिये रामनाथ नाम के एक वकील को कपिल के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का आदेश देता है | यहाँ पर रामनाथ, अमित का एजेण्ड कहलायेगा न कि सुमित का अर्थात् रामनाथ को स्थानापन्न एजेण्ड कहा जायेगा |

स्थानापन्न एजेण्ड को नामांकित करते समय मूल एजेण्ड का कर्तव्य (Agent's duty in naming such substituted agent) – *अपने नियोक्ता के लिये स्थानापन्न एजेण्ड का चुनाव करते समय एजेण्ड को उतने ही विवेक से कार्य करना चाहिये, जितने विवेक से एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति अपने निजी मामले में करता, और यदि वह ऐसा करता है, तो इस प्रकार से चुने गये एजेण्ड के कार्यों के लिये अथवा उसकी असावधानियों (Negligence) के लिये वह (मूल एजेण्ड) नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी नही होगा | (धारा 195)*

उदाहरण - रमेश अपने एजेण्ड दिनेश की अपने लिये एक जहाज खरीदने का आदेश देता है | दिनेश एक ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ

सुरेश को जहाज खरीदने के लिये नियुक्त करता है | सुरेश ने जहाज के चुनाव में लापरवाही से कार्य किया | परिणामस्वरूप खाक समुद्र में डूब गया | रमेश के प्रति दिनेश नही, सुरेश उत्तरदायी है |

उप-एजेण्ड और स्थानापन्न एजेण्ड में अन्तर

(Difference between sub-agent and substituted agent)

अन्तर का आधार	*उप-एजेण्ड (sub-agent)*	***स्थानापन्न एजेण्ड (Substituted Agent)***
1. स्थिति	*उप-एजेण्ड प्रधान एजेण्ड के अधीन काम करता है |*	***स्थानापन्न एजेण्ड स्वतन्त्र रूप से प्रधान एजेण्ड के रूप में काम करता है |.***
2. पारिश्रमिक माँगने का अधिकार	*उप-एजेण्ड अपने पारिश्रमिक की माँग प्रधान से नही कर सकता |*	***स्थानापन्न एजेण्ड मूल एजेण्ड का स्थान ग्रहण करता है	अत: वह अपना पारिश्रमिक प्रधान से माँग सकता है |***

3. प्रधान द्वारा उत्तरदायी ठहराना प्रधान उप-एजेण्ड को उसके कार्यो के लिये उत्तरदायी नही ठहराया सकता |

प्रधान, स्थानापन्न एजेण्ड को उसके कार्यो के लिये उत्तरदायी ठहराया जा सकता है |

4. दायित्व उप-एजेण्ड, एजेण्ड के प्रति उत्तरदायी होता है तथा कपट अथवा जानबूझकर की गयी गलतियों के अतिरिक्त वह प्रधान के प्रति उत्तरदायी नही होता | स्थानापन्न एजेण्ड केवल प्रधान के प्रति उत्तरदायी होता है |

एजेण्ड का तृतीय पक्ष के प्रति व्यक्तिगत दायित्व (Personal Liability of Agent against third party)

सामान्य नियम यह है की यदि कोई एजेण्ड तीसरे पक्षकार को अपने प्रधान का नाम बताकर कोई अनुबन्ध करता है तो वह तीसरे पक्षकारों के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नही ठहराया जा सकता |

धारा 230 में स्पष्ट आदेश है कि किसी विपरीत अनुबन्ध के अभाव में नियोक्ता के लिये किये गये अनुबन्धो को न तो

एजेण्ड स्वयं लागू (Enforce) ही करा सकता है और न ही वह ऐसे अनुबन्धो के लिये व्यक्तिगत रूप से बाध्य होगा |

वस्तुतः एजेण्ड तो केवल मात्र अपने प्रधान और तीसरे पक्ष के बीच वैधानिक सम्बन्ध की स्थापना करता है | इसलिये एक एजेण्ड द्वारा किया गया कार्य उसके नियोक्ता का कार्य माना जाता है |

उदाहरणार्थ, 'अ', 'ब' का एजेण्ड है और 'स' के साथ 'ब' का मकान बेचने का अनुबन्ध करता है बाद में 'स' मकान नही खरीदता है तो 'अ', 'स' स्वयं वाद प्रस्तुत कर सकता है और उसके विरुद्ध भी अन्य पक्षों द्वारा वाद प्रस्तुत किया जा सकता है -

1.जब स्पष्ट रूप से ऐसा अनुबन्ध किया हो (When the contract Expressly Provides) – यदि तृतीय पक्षकार प्रधान की अच्छी तरह नही जानते और वे अनुबन्ध करते समय ही यह स्पष्ट कर देते है की अनुबन्ध भंग होने की दशा में वे एजेण्ड को ही उत्तरदायी ठहरायेंगे | एजेण्ड यदि इस बात के लिये सहमत हो जाता है, तो एजेण्ड व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो

जाता है / कभी-कभी गर्भित रूप से भी एजेण्ड व्यक्तिगत दायित्व स्वीकार कर लेता है /

2. विदेशी प्रधान के लिये कार्य करने पर (Acting for a foreign principal) – जब एजेण्ड किसी विदेशी प्रधान के लिये क्रय-विक्रय करता है तो अनुबन्ध के निष्पादन के लिये एजेण्ड व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है / इस नियम की मान्यता यह है कि अनुबन्ध तीसरे पक्षकार द्वारा एजेण्ड की साख पर किया गया है, विदेशी प्रधान की साख पर नही /

3. अप्रकट प्रधान के लिए कार्य करने पर (Acting for Undisclosed principal) – यदि एजेण्ड अपने प्रधान का नाम प्रकट नही करता रो न ही तीसरे पक्षकार को नियोक्ता के नाम की जानकारी है तथा न ही प्रभाव का नाम जानने के लिये पर्याप्त साधन उपलब्ध हों, तो ऐसी दशा में किये गये व्यवहार के लिये एजेण्ड व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा /

4. नियोक्ता पर वाद प्रस्तुत न किये जा सकने पर (Acting for a principal who cannot be sued) – जब एजेण्ड ने प्रधान का

नाम तो प्रकट कर दिया परन्तु प्रधान के विरुद्ध कोई क़ानूनी कार्यवाही नही की जा सकती हो, रो एजेण्ड तीसरे पक्षकारो के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है ।

उदाहरणार्थ, किसी अवयस्क या विदेशी राजदूत के लिये कार्य करने पर एजेण्ड व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है क्योंकि अवयस्क एवं विदेशी राजदूत पर अनुबन्ध करने के अयोग्य होने के कारण वाद प्रस्तुत नही किया जा सकती है ।

5. विनिमय-साध्य विलेखों पर स्वयं हस्ताक्षर करने पर (By signing a negotiable instrument in his own name) – जब कोई एजेण्ड किसी विनिमय साध्य विलेख जैसे विनिमय-पत्र, प्रतिज्ञा-पत्र, चैक आदि पर बिना यह स्पष्ट किये हुये की वह एजेण्ड किया, अपने नाम से हस्ताक्षर करता है तो एजेण्ड व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है ।